रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date.
GOVT. OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 266] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 1981/ज्येष्ठ 28, 1903
No. 266] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 1981/JYAISTHA 28, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 1981

का० आ० 488(अ).—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक महत्व के एक निश्चित विषय में, अर्थात् तमिलनाडु में चीनी कारखानों से गन्ना शीरा की बड़ी मात्राओं का परिशोधित स्पिरिट और पेय एल्कोहल मे परिवर्तन करने के लिए परावर्तन, जिसके परिणामस्वरूप राज्यकोष-राजस्व को भारी हानि हुई है, जून, 1979 से आगे की अवधि के दौरान तमिलनाडु राज्य में और उससे केरल राज्य को और केरल राज्य में परिशोधित स्पिरिट की बड़ी मात्राओं का और अनुज्ञात मात्राओं से अधिक मात्राओं का अवैध संचलन हुआ और उससे संबंधित अभिकथित भ्रष्ट आचरणों की जांच करने के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है,

अतः, केन्द्रीय सरकार जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक जांच आयोग नियुक्त करती है, जिसके एकमात्र सदस्य उड़ीसा उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायामूर्ति श्री एस० के० राय होंगे।

2. आयोग के निर्देश–निबन्धन निम्नलिखित होंगे:—

(क) इस अधिसूचना के उपाबन्ध में उपवर्णित विषयों की जांच करना जोकि प्रधानमंत्री को भेजे गए 21 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन और केरल राज्य विधान सभा के कुछ सदस्यों और अन्य व्यक्तियों से प्राप्त तारीख 6 फरवरी, 1981 के ज्ञापन में अंतर्विष्ट अभिकथनों से उद्भूत हुए हैं;

(ख) पूर्वोक्त अभिकथनों मे निर्विष्ट किसी भी विषय मे किसी भी व्यक्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई किसी अनियमितता, अनौचित्य, अवचार या विधि के उलंघन की जांच करना ;

(ग) किसी अन्य ऐसे विषय में जांच करना, जो पूर्वोक्त अभिकथनों में निर्विष्ट किसी कार्य, लोप या संव्यवहार से उद्भूत होता है या उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक है।

3 आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

4. आयोग 6 मास की अवधि के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा और केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट देगा।

5. और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि आयोग द्वारा की जाने वाली जांच की प्रकृति और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के सभी उपबंध आयोग को लागू किए जाने चाहिए, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश करती है कि उस धारा की उक्त उपधारा (2), (3), (4) और (5) के सभी उपबन्ध आयोग को लागू होंगे।

[फा० सं० 375/11/81-एवीडी-IV]

ए० सी० बन्द्योपाध्याय, सचिव

उपाबन्ध

21 संसद सदस्यों से ज्ञापन

(1) क्या गन्ना-शीरा की बड़ी मात्रा को तमिलनाडु के चीनी कारखानों द्वारा अप्राधिकृत रूप से, डिस्टिलरियों के साथ दुरभिसन्धि में, परिशोधित स्प्रिट के अवैध विनिर्माण और विक्रय लिए परावर्तित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र या राज्य कोष को एक करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व की हानि हुई।

(2) क्या तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने ऐसी अवैध स्प्रिट के व्ययन द्वारा बड़ी मात्रा में निधियों का संग्रह करने में उत्पादशुल्क के भारसाधक मंत्री के रूप में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है।

(3) क्या गन्ना-शीरा के हजारों टनों को एक या दूसरे बहाने बनाकर अपलिखित कर दिया गया और क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डिस्टिलरियों को ऐसी सुविधा देने में सहायक हुए जिससे कि वे परिशोधित स्प्रिट का अवैध व्ययन कर सकें और जिससे वह स्वयं समृद्ध हो सकें।

(4) क्या उन सरकारी अधिकारियों ने, जो आसवन अधिकारियों के रूप में नियुक्त थे, तमिलनाडु में डिस्टिलरियों की परिशोधित स्प्रिट का छिपाकर उत्पादन करने और उनका व्ययन करने में सहायता की।

(5) क्या तमिलनाडु सरकार का राजस्व अधिकारियों के अनुरक्षण के बिना परिशोधित स्प्रिट उठाने के लिए डिस्टिलरियों को अनुज्ञा देने वाला और इस प्रयोजन के लिए बनाई गई जांच पड़ताल चौकियों को भंग करने वाला 26-6-1979 का आदेश इस दृष्टि से जारी किया गया था कि जिससे डिस्टिलरियां परिशोधित स्प्रिट की अनुज्ञात मात्रा से अधिक अवैध रूप से दूसरे राज्यों में भेज सकें।

(6) क्या तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जिन्हें दूसरे राज्यों को परिशोधित स्प्रिट के दस लाख लिटर निर्यात करने के लिए अनुज्ञात किया गया था, किन्तु जिन्होंने वास्तव में पंद्रह लाख लिटर निर्यात किए, जैसा कि उन्होंने चैम्बर्स आफ कामर्स मद्रास में अक्तूबर, 1980 में बोलते हुए अभिकथित रूप से स्वयं स्वीकार किया।

(7) क्या तमिलनाडु सरकार द्वारा परिशोधित स्प्रिट के निर्यात पर पाबन्दी लगाना और विभिन्न अवसरों पर उसे शिथिल करना इस दृष्टि से किया गया था कि जिससे किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा अवैध लाभ हो सके।

(8) क्या तमिलनाडु में बहुत से उद्योगों को परिशोधित स्प्रिट, जो कि कच्ची सामग्री है और जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, प्राप्त नहीं हो रही थी और इस प्रकार इस बात के लिए कोई आधार नहीं था कि परिशोधित स्प्रिट का तमिलनाडु के बाहर निर्यात किया जाए।

(9) क्या परिशोधित स्प्रिट के 9.96 लाख लिटर का मैसर्स अरविंद डिस्टिलरी और कैमिकल्स लि०, साउथ आरकोट जिला से मैसर्स मानम शुगर मिल्स कोआपरेटिव लि० केरल को श्री अहमद खान द्वारा, जो प्राइवेट ठेकेदार है, जिसे केरल सरकार द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया था, निर्यात तमिलनाडु के मुख्य मंत्री द्वारा शीघ्रतापूर्वक अनुज्ञात किया गया था।

(10) क्या तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने मैसर्स अरविंद डिस्टिलरीज, साउथ आरकोट से मैसर्स मानम शुगर मिल्स कोआपरेटिव लि० को परिशोधित स्प्रिट का निर्यात करने के लिए दिया गया "अनापत्ति प्रमाण पत्र" ही मैसर्स ओरियन कैमिकल्स एण्ड डिस्टिलरीज लि०, चेंगलपट्टू जिला से परिशोधित स्प्रिट के निर्यात के लिए स्वीकार कर लिया और क्या तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने पक्षकारों से कई लाख रुपए संग्रहीत करने के पश्चात् इन निर्यातों की अनुज्ञा देने में और तमिलनाडु के बाहर एल्कोहल का स्वतंत्र व्यवसाय करने की उन्हें अनुज्ञा देने में अपने पद का दुरुपयोग किया था।

(11) क्या तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने विधान सभा की कार्यवाहियों से अपने उन निकट मित्रों का नाम मिटाने के लिए, जो अभिकथित रूप से इस विषय में अन्तर्वलित थे, और जिनके प्रति विरोधी दल के नेताओं द्वारा तमिलनाडु की विधान सभा में निर्देश किया गया था, अपने प्रभाव का प्रयोग किया था।

केरल विधान सभा के कुछ सदस्यों से और दूसरों से प्राप्त ज्ञापन

(1) क्या केरल के उत्पाद-शुल्क मंत्री द्वारा संयोजित उत्पाद-शुल्क ठेकेदारों के सम्मेलन में यह बताया गया था कि यदि रिश्वत के रूप में बड़ी रकमों को दिया गया तो अरक का निर्माण करने के लिए अपेक्षित परिशोधित स्प्रिट अगस्त, 1980 में पड़ने वाले ओणम त्यौहार के लिए मांग की पूर्ति करने के लिए केरल के बाहर उपलब्ध हो जाएगी और केरल के उत्पादशुल्क मंत्री ने किसी भी साधन द्वारा परिशोधित स्प्रिट की अपेक्षित मात्रा उपाप्त करने की व्यवस्था के लिए उन्हें पूर्ण स्वीकृति दे दी।

(2) क्या उक्त सम्मेलन के पश्चात् केरल के उत्पाद-शुल्क मंत्री द्वारा श्री अहमद खान के साथ कोई विचारविमर्श और बातचीत की गई और उत्पाद-शुल्क विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया तथा केरल मंत्रिमंडल के सुदीर्घकालीन विनिश्चय के विरुद्ध उक्त श्री अहमद खान को, जो न तो उत्पाद-शुल्क ठेकेदार है और न ठोस वित्तीय स्थिति का व्यक्ति है, केरल के उत्पाद-शुल्क मंत्री के विशेष अनुदेशों पर मैसर्स अरविंद डिस्टिलरी एण्ड कैमिकल्स लि०, साउथ आरकोट जिला से 10 लाख लिटर परिशोधित स्प्रिट के उपाप्त करने के लिए, जिसमें कम से कम पचास लाख रुपए के विनिधान की आवश्यकता थी और उसे केरल में मैसर्स मानम शुगर मिल्स कोआपरेटिव लि० की प्राधिकृत अरक आसवन यूनिटों को तीन रुपए प्रति लिटर पर प्रदाय करने के लिए, प्राधिकृत किया गया।

(3) क्या उक्त अहमद खान के साथ बातचीत आरम्भ करने के कुछ ही पूर्व केरल के उत्पाद-शुल्क मंत्री को प्राइवेट सचिव द्वारा, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति का होता है, कागज प्रस्तुत करने की पद्धति को बदल दिया गया था और सभी उत्पाद-शुल्क फाइलों को मंत्री को अपर प्राइवेट सचिव के माध्यम से, जो केवल अवर सचिव की पंक्ति का था और जो श्री अहमद खान से संबंधित था प्रस्तुत किया गया था।

(4) क्या इधर अपनाई गई नीति के विरुद्ध संविदा में जानबूझकर उक्त श्री अहमद खान को स्प्रिट के स्वामित्व का अधिकार तब तक देने के लिए उपबन्ध किया गया था जब तक कि वह मैसर्स मानम शुगर मिल्स कोआपरेटिव लि० को परिवर्तित नहीं कर दी जाती है और उसका सदाय उससे अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है।

(5) क्या केरल सरकार द्वारा पालघाट और त्रिचूर के चक्करवार रास्ते से होकर रास्ते का परिवर्तन करने का श्री अहमद खान का अनुरोध, बिना किसी न्यायोचित्य के इस दृष्टि से मंजूर किया गया था कि जिससे हिसाब में न रखी गई स्प्रिट की मात्रा के अवैध परिवहन और विक्रय को कालेबाजार में सुकर बनाया जा सके जहां उससे 3 रु० प्रति लीटर कीमत के स्थान पर, जिस पर उक्त श्री अहमद खान को मैसर्स मानम शुगर मिल्स लिमिटेड को परिशोधित स्प्रिट का प्रदाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया था, 30 रु० प्रति लीटर कीमत प्राप्त हो और जिसके कारण उक्त श्री अहमद खान और अन्य को असम्यक् धन-संबंधी लाभ हुआ।

(6) क्या उक्त श्री अहमद खान ने तमिलनाडु की दूसरी डिस्टिलरी से जिसका नाम मैसर्स ओरियन कैमिकल्स ऐण्ड डिस्टिलरी लिमिटेड, चेंगलपट्टू जिला है, परिशोधित स्प्रिट उपाप्त करने के लिए दस्तावेजों की कूट-रचना की जबकि उन्हें मैसर्स मानम शुगर मिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड के माध्यम से दिया गया प्राधिकरण उसे केवल मैसर्स अरविंद डिस्टिलरी ऐण्ड केमिकल्स लिमिटेड, तमिलनाडु से उपाप्त करने के लिए था।

(7) क्या प्राधिकरण और साथ ही साथ लटरचित दस्तावेजो का प्रयोग करते हुए उक्त श्री अहमद खान और उनके साथियो ने तमिलनाडु से हिसाब मे न रखी गई परिशोधित स्प्रिट को बडी मात्राओ मे अपाप्त किया और उसका मार्ग परिवर्तन करके उसे अप्राधिकृत क्षेत्रो को बाहर भेज दिया जिससे राज्य कोष को 10 करोड़ रुपए के लगभग राजस्व की हानि हुई।

(8) क्या जब यह भ्रष्टाचार मानम शुगर मिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड के महा प्रबधक द्वारा उद्योग मत्री उत्पाद शुल्क आयुक्त, मानम शुगर मिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड के अध्यक्ष और केरल सरकार के उद्योग विभाग के विशेष सचिव की जानकारी मे लाया गया तो कोई कारवाई नही की गई।

(9) क्या केरल राज्य मे छह भ०। लारियो द्वारा तस्करी से लाई गई स्प्रिट की बडी मात्रा को बरामद करने के लिए उस समय कोई कार्रवाई नही की गई जब वह राज्य के उत्पाद शुल्क प्राधिकारियो द्वारा 26-11-1980 और 27-11-1980 को मार्ग मे रोकी गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 1981

S O 488(E).—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, diversion of large quantities of sugarcane molasses from sugar factories in Tamil Nadu for conversion into rectified spirit and potable alcohol, resulting in huge loss of revenue to the State exchequer, the illegal movement during the period from June, 1979 onwards, of huge quantities of rectified spirit, and in excess of the permitted quantities, in and from the State of Tamil Nadu to and in the State of Kerala, and the alleged corrupt practices relating thereto,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of a single member, namely, Shri S K Ray, retired Chief Justice of the Orissa High Court

2 The terms of reference of the Commission shall be as follows —

(a) to inquire into the matters indicated in the Annexure to this notification arising out of the allegations contained in the Memorandum signed by 21 Members of Parliament and the Memorandum dated the 6th February, 1981, received from some Members of the Kerala State Legislative Assembly and others, addressed to the Prime Minister;

(b) to inquire into any irregularity, impropriety, misconduct or contravention of law, on the part of any person in relation to any matter referred to in the allegations aforesaid,

(c) to inquire into any other matter, which arises from, or is connected with, or incidental to, any act, omission or transaction referred to in the allegations aforesaid

3 The headquarters of the Commission will be at New Delhi

4 The Commission will complete its inquiries and report to the Central Government within a period of six months

5 And whereas the Central Government is of opinion that, having regard to the nature of the inquiry to be made by the Commission and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) and sub section (5) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act 1952 (60 of 1952), should be made applicable to the Commission, the Central Government hereby directs, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the said section 5, that all the provisions of the said sub-sections (2), (3), (4) and (5) of that section shall apply to the Commission

[F No 375/11/81 AVD IV]
A C BANDOPADHYAY, Secy

ANNEXURE

MEMORANDUM FROM 21 MEMBERS OF PARLIAMENT

(1) Whether large quantities of sugarcane molasses were diverted unauthorisedly by the sugar factories in Tamil Nadu, in collusion with distilleries, for the illegal manufacture and sale of rectified spirit, resulting in loss of revenue to the Central or State exchequer, amounting to over a crore of rupees

(2) Whether the Chief Minister of Tamil Nadu has misused his power as Minister in charge of Excise in the collection of huge funds through the disposal of such illicit spirit

(3) Whether thousands of tons of sugarcane molasses were written off under one pretext or the other and whether the Chief Minister of Tamil Nadu was instrumental in facilitating the distilleries to commit the illegal disposal of rectified spirit to enrich himself

(4) Whether Government officials posted as Distillery Officers, helped distilleries in Tamil Nadu to carry on the clandestine production and disposal of rectified spirit

(5) Whether order dated 26th June, 1979 of the Government of Tamil Nadu allowing the distilleries to lift rectified spirit without the escort of revenue officials and disbanding the check-posts created for the purpose was issued with a view to enabling the distilleries to move illegally more than the permitted quantities of rectified spirit to other States

(6) Whether the Chief Minister of Tamil Nadu did not take any action against the persons, who were permitted to export 10 lakh litres of rectified spirit to other States, but had actually lifted 15 lakh litres, as allegedly admitted by him while speaking in the Chamber of Commerce at Madras, in October, 1980

(7) Whether the imposition of a ban on export of rectified spirit and relaxation of the same on several occasions by the Government of Tamil Nadu were done with a view to enabling any person to make huge illegal gain

(8) Whether many industries in Tamil Nadu were not getting rectified spirit, which is a raw material needed by them, and as such there was no ground for exporting rectified spirit out of Tamil Nadu

(9) Whether export of 9 96 lakh litres of rectified spirit from Messrs Arvind Distillery and Cemicals' Limited, South Arcot District to Messrs Mannam Sugar Mills Co-operative Limited in Kerala by Shri Ahmed Khan, a private contractor, who was not authorised by the Government of Kerala was hurriedly permitted by the Chief Minister of Tamil Nadu

(10) Whether the Chief Minister of Tamil Nadu accepted the same "No Objection Certificate" to export rectified spirit from Messrs Arvind Distilleries in South Arcot to Messrs Mannam Sugar Mills Co-operative Limited for the export of rectified spirit from Messrs Vorion Chemicals and Distilleries Limited, Chengalpattu District and whether the Chief Minister of Tamil Nadu had misused his office in allowing these exports after collecting several lakhs of rupees from the parties and allowed them free trade of alcohol out of Tamil Nadu

(11) Whether the Chief Minister of Tamil Nadu exerted his influence to expunge, from the proceedings of the Legislative Assembly, the names of his close friends, allegedly involved in the matter, referred to by the Leader of the Opposition in the Legislative Assembly of Tamil Nadu

MEMORANDUM RECEIVED FROM SOME MEMBERS OF THE KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY AND OTHERS

(1) Whether it was disclosed in a conference of excise contractors, convened by the Excise Minister of Kerala, that, if huge amounts were paid as bribes, rectified spirit required to manufacture arrack would be available outside Kerala to meet the demands for the Onam festival in August, 1980 and the Excise Minister of Kerala gave them the green signal to arrange to procure the required quantity of rectified spirit by any means.

(2) Whether, following the said conference, several discussions and negotiations were held by the Excise Minister of Kerala with Shri Ahmed Khan and, contrary to the normal procedure followed by the Excise Department and the long-standing decision of the Kerala Cabinet, the said Shri Ahmed Khan, who is neither an excise contractor nor a person of substantial financial stability, was authorised, on the special instructions of the Excise Minister of Kerala, to procure 10 lakh litres of rectified spirit from Messrs Arvind Distilleries and Chemicals Limited South Arcot District, requiring a minimum investment of about Rs. 50 lakhs, and supply the same to the authorised arrck distilling units of Messrs Mannam Sugar Mills Co-operative Limited in Kerala at Rs. 3 per litre.

(3) Whether, shortly before the negotiations with the said Shri Ahmed Khan started, the practice of submission of papers to the Excise Minister of Kerala through the Private Secretary, who is of the rank of a Joint Secretary, was changed and all the excise files were routed to the Minister through the Additional Private Secretary, who is only of the rank of an Under Secretary and is related to the said Shri Ahmed Khan.

(4) Whether contrary to the policy hitherto followed, a provision was deliberately made in the contract to give the right of ownership of the spirit to the said Shri Ahmed Khan until it was delivered to Messrs Mannam Sugar Mills Co-operative Limited and his payment obtained from them.

(5) Whether the request of Shri Ahmed Khan for a change of route through a circuitous route, via Palghat and Trichur was granted by the Government of Kerala without any justification, with a view to facilitating illegal transportation and sale of unaccounted quantity of spirit in the black market where it would fetch Rs. 30 per litre as against the price of Rs. 3 per litre, at which the said Shri Ahmed Khan was authorised to supply rectified spirit to Messrs Mannam Sugar Mills Co-operative Limited, thereby causing undue pecuniary gain to the said Shri Ahmed Khan and others.

(6) Whether the said Shri Ahmed Khan forged documents to procure rectified spirit from another distillery in Tamil Nadu by name Messrs Vorion Chemicals and Distilleries Limited, Chengalpattu District, whereas the authorisation given to him through Messrs Mannam Sugar Mills Co-operative Limited was to procure it only from Messrs Arvind Distillery and Chemicals Limited of Tamil Nadu.

(7) Whether, making use of the authorisation as well as foreign documents, the said Shri Ahmed Khan and his associates procured huge unaccounted quantities of rectified spirit from Tamil Nadu and diverted the same to unauthorised quarters in Kerala, causing loss of revenue to the tune of Rs. 10 crores to the State Exchaquer.

(8) Whether no action was taken when the malpractice was brought to the notice of the Industries Minister, Excise Commissioner, Chairman of Mannam Sugar Mills Cooperative Limited and Special Secretary to the Government of Kerala in the Industries Depart by the General Manager of the Mannam Sugar Mills Co-operative Limited.

(9) Whether no action was taken to recover the huge quantity of spirit smuggled into the State of Kerala through six lorry loads, when they were intercepted by the State Excise Authorities on 26th November, 1980 and 27th November, 1980.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981